

# न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं-04

प्रवेश दिनांक 25.05.2021

निर्णय दिनांक 05.08.2021

61/04/1956  
3021  
25

सम्बन्ध

1 राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1. भरता पुत्र हणूता

2. भोला पुत्र बदरी

3. गौती पत्नी स्व० देवकरण

जातियान मीना निवासीयान ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का राक्षेप मे वृत्तान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावडा द्वारा ग्राम ढिगावडा के आराजी ख० नं० 641/0.49 है० में से रकबा 0.20 है० किस्म चाही उत्तम एवं रकबा 0.29 है० किस्म जाव उत्तम खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान भरता पुत्र हणूता भोला पुत्र बदरी गौती पत्नी स्व० देवकरण जातियान मीना निवासीयान ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर। द्वारा आराजी ख० नं० 641/0.49 में से रकबा 0.05 हैक्ट० भूमि में होटल निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपानन्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः भरता पुत्र हणूता भोला पुत्र बदरी गौती पत्नी स्व० देवकरण जातियान मीना निवासीयान ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा आराजी ख० नं० 641/0.49 में से रकबा 0.05 हैक्ट० पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ होटल निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत देदखल कर लगान 1.75 रुपये का पचास गुणा राशि 88.00/- रुपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील



राजगढ़ (अलवर)

राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। चूंकि गैरसायतान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम रवीकृती उपयोग कर लेने पर खातोदासी भूमि की शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल मीना)  
तहसीलदार राजगढ़  
राजगढ़ (अलवर)



रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22  
के फ़ण्ड संख्या... 1.8 प.र. वि. 30A 88/-  
राशि कायम किये गये।  
त. रा. लेखाकार